भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रधान लिपिक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रधान लिपिक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण
1.	पद का नाम	प्रधान लिपिक	प्रधान लिपिक	कोई परिवर्तन नहीं
2.	पदों की सं.	1	2 (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	प्रधान लिपिक का एक पद दिनांक 18.06.86 के जीआई एमएच एंड एफडब्ल्यू पत्र संख्या ए/16011/8/84-पीएमएस के माध्यम से सृजित किया गया है।
3.	वर्गीकरण	अराजपत्रित, आनुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेवल 6 वाले पद को समूह ख पद में वर्गीकृत किया गया है।
4.	वेतनमान (अब वेतन मैट्रिक्स में)	रू. 160-10-250	वेतन मैट्रिक का लेवल – 6 (35,400 रू.)	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश और सीसीएस (आरपी) नियमावली के अनुसार
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं	चयन	दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार, जब पदोन्नति निम्न समूह से उच्च समूह में की जाती है तो भर्ती की पद्धति 'चयन' होगी।
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: सीधी	दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार, यदि पद लेवल 6 में है तो

			भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)	आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	i. स्नातक ii. सरकारी कार्यालय में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव iii. नियमों एवं विनियमों का ज्ञान	लागू नहीं	प्रोन्नति पद होने के कारण दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि	2 वर्ष	2 वर्ष	कार्मिक एवं प्रशिक्षण

	कोई हो।			विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार क्योंकि प्रोन्नति निम्न समूह में उच्च समूह में है।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,	दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार, क्योंकि प्रोन्नति के लिए पूरक ग्रेड उपलब्ध है।
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	ऐसे प्रवर श्रेणी लिपिक, लेखाकार, आशुलिपिक पात्र हैं जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा की हैं जिसमें से उन्होंने कम से कम दो वर्ष तक प्रवर श्रेणी लिपिक के समतुल्य कार्य किए हों।	ऐसे प्रवर श्रेणी लिपिक, लेखाकार, आशुलिपिक पात्र हैं जिन्होंने दस वर्ष की सेवा की हैं जिसमें से उन्होंने कम से कम दो वर्ष तक प्रवर श्रेणी लिपिक के समतुल्य कार्य किए हों।	दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नति समिति : १.निदेशक (सीआईपी) - अध्यक्ष, २.चिकित्सा अधिकारी-सदस्य, ३ प्रशा. अधिकारी-सदस्य	कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोन्नति वाले पद के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति होनी आवश्यक है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	